संख्या-255/2016/1559/22-2-2016-17(42)/2010

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 13 दिसम्बर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कलक्टर पुत्र श्री तारा, निवासी जनपद-शाहजहांपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34859/प्रोबेशन-3/(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कलक्टर पुत्र श्री तारा, निवासी ग्राम-बासखेडा, थाना-जलालाबाद, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। पूर्व में चली आ रही रंजिश एवं जानवरों द्वारा खेत में खडी गन्ने की फसल को नुकसान पहुँचाने पर पुत्तू के पुत्र एवं भतीजे को पीटे जाने के कारण बन्दी ने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 17.10.1978 को प्रात: लगभग 09:00 बजे बन्दूक से गोली मारकर एवं भाला, कांता एवं लाठी से प्रहार कर नवाब नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-673/1978 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 148 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, षष्टम, शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 31-03-1980 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2016 तक 19 वर्ष 07 माह 07 दिन की अपरिहार तथा 25 वर्ष 08 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है, 02 सहअभियुक्त रिहा हो चुके हैं, 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है तथा 02 सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये गये। जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक दिनांक 13.04.2016 को जिला कारागार, शाहजहांपुर में सम्पन्न हुई जिसमें जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं अधीक्षक जिला कारगार, शाहजहांपुर द्वारा भाग लिया गया। समिति ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में आता है, बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है, बन्दी को जेल में और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी की पारिवारिक सामाजिक व आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बोर्ड ने बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की उम्र 73 वर्ष 04 माह लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कलक्टर पुत्र श्री तारा, निवासी जनपद-शाहजहांपुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन संख्या-19406 (एम0/बी0) /2016 कलक्टर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-08-2016 के अनुपालन तथा उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी कलक्टर (बन्दी संख्या-34050) पुत्र श्री तारा निवासी जनपद-शाहजहांपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-255/2016/1559(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार बरेली।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-255/2016/1559/22-2-2016-17(42)/2010

दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कलक्टर पुत्र श्री तारा, निवासी ग्राम-बासखेडा, थाना-जलालाबाद, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। पूर्व में चली आ रही रंजिश एवं जानवरों द्वारा खेत में खडी गन्ने की फसल को नुकसान पहुँचाने पर पुत्तू के पुत्र एवं भतीजे को पीटे जाने के कारण बन्दी ने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 17.10.1978 को प्रात: लगभग 09:00 बजे बन्दूक से गोली मारकर एवं भाला, कांता एवं लाठी से प्रहार कर नवाब नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-673/1978 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 148 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, षष्टम, शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 31-03-1980 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2016 तक 19 वर्ष 07 माह 07 दिन की अपरिहार तथा 25 वर्ष 08 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है, 02 सहअभियुक्त रिहा हो चुके हैं, 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है तथा 02 सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये गये। जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक दिनांक 13.04.2016 को जिला कारागार, शाहजहांपुर में सम्पन्न हुई जिसमें जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं अधीक्षक जिला कारगार, शाहजहांपुर द्वारा भाग लिया गया। समिति ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में आता है, बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है, बन्दी को जेल में और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी की पारिवारिक सामाजिक व आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की उम्र 73 वर्ष 04 माह लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कलक्टर पुत्र श्री तारा, निवासी जनपद-शाहजहांपुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in